म.प्र. जन अभियान परिषद्

(योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन)
राजीव गांधी भवन खण्ड 2, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल, 0755-2660203

क्रं. 1470....../JAP/TM/CMCLDP/2023 भोपाल, दिनांक 26..../05/2023

प्रति,

1. कुलपति,
   महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
   चित्रकूट जिला सतना
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉरमेंस (क्रिस्प),
   भोपाल

विषय:- बैठक दिनांक 16 मई, 2023 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम संचालन हेतु नीति निर्धारण के संबंध में बैठक दिनांक 16 मई, 2023 को वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिषद के मान. उपाध्यक्षद्वय श्री विभाष उपाध्याय एवं डॉ जितेंद्र जामदार, महानिदेशक श्री बी.आर. नायडू, कार्यपालक निदेशक डॉ. धीरेंद्र कुमार पांडे तथा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा द्वारा सहभागिता की गई। बैठक का कार्यवाही विवरण पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(सुनील कटारे)
उपनिदेशक
म.प्र. जन अभियान परिषद्

पृ. क्रं. 1471....../JAP/TM/CMCLDP/2023 भोपाल, दिनांक 26..../05/2023

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. उपाध्यक्षद्वय, म.प्र. जन अभियान परिषद् की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, महानिदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद् की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद् की ओर सूचनार्थ।
4. एम.आई.एस. शाखा
5. गार्ड नस्ती।

उपनिदेशक
म.प्र. जन अभियान परिषद्

म.प्र. जन अभियान परिषद्

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम

वर्चुअल बैठक, दिनांक 16 मई 2023

कार्यवाही विवरण

दिनांक 16 मई 2023 को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम संचालन हेतु नीति निर्धारण के संबंध में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परिषद के मान. उपाध्यक्षद्वय श्री विभाष उपाध्याय एवं डॉ जितेंद्र जामदार, परिषद के महानिदेशक श्री बी.आर. नायडू, परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. धीरेंद्र कुमार पांडे तथा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा द्वारा सहभागिता की गई। बैठक में एजेंडा अनुसार निम्नवत निर्णय लिए गए:

एजेंडा 01.बीएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में दिशानिर्देश।

निर्णय: म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 17 मई 2023 तक आतंरिक मूल्यांकन के अंक के संकलन हेतु लिंक ओपन करने के सम्बन्ध में क्रिस्प को पत्र जारी किया जावे। साथ ही लिंक ओपन होने के बाद परिषद् द्वारा दिनांक 10 जून 2023 तक आतंरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जावे। बीएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष की परीक्षाएं दिनांक 12 जून 2023 से 20 जून 2023 के मध्य समस्त अध्ययन केन्द्रों में आयोजित की जावें। म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में परीक्षा कार्यक्रम तथा अध्ययन केंद्र प्रभारियों हेतु दिशा निर्देश जारी किये जावे।

एजेंडा 02. द्वितीय वर्ष की पुस्तकों के निर्माण की स्थिति पर चर्चा।

निर्णय:म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय वर्ष की पुस्तकों की सामग्री के निर्माण का कार्य माह 30 मई, 2023 के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण कर लिया जावे। परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र

2023-24 के दौरान बीएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीट्स के 70 प्रतिशत भाग के मान से बीएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की पुस्तकों का मुद्रण का कार्य तथा माह जून 2023 में आयोजित होने वाली बीएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष की परीक्षाओं हेतु प्रवेश फॉर्म तथा प्रवेश शुल्क जमा करने वाले छात्रों के 70 प्रतिशत भाग के मान से बीएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू द्वितीय वर्ष की पुस्तकों का मुद्रण का कार्य माह जून, 2023 तक पूर्ण किया जावे।

एजेंडा 03.शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बीएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु अधिसूचना एवं विज्ञापन जारी करना।

निर्णय: म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अकादमिक केलेंडर का निर्माण कर बीएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 30 मई 2023 तक अधिसूचना एवं विज्ञापन जारी किया जावे तथा इस आधार पर गत वर्ष की भांति ऑनलाइन प्रवेश हेतु लिंक क्रिस्प द्वारा खोली जावे।

एजेंडा 04.सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के प्रवेश हेतु योजना निर्माण।

निर्णय: म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों से संपर्क/पत्राचार किया जावे।

एजेंडा 05.मार्कशीट की नवीन प्रति प्रदाय किए जाने हेतु म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा राशि रुपए 750 की मांग के संबंध में चर्चा।

निर्णय: म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा मार्कशीट वितरण हेतु प्रभावी तंत्र विकसित न करने के कारण छात्रों को मार्कशीट्स समय पर नहीं मिल पाई है, जिस कारण अनेक छात्र उच्च

अध्ययन एवं रोजगार के अवसरों हेतु प्रयास नहीं कर सके। अतः मुख्यमंत्री सामुदायिक नेत्रत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के ऐसे समस्त छात्र जिन्हें मार्कशीट उपलब्ध नहीं हो पायी है, उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर, म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा मार्कशीट की नवीन प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। भविष्य में म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा मार्कशीट्स के समय पर वितरण हेतु प्रभावी तंत्र विकसित किया जावे।

एजेंडा 06.शैक्षणिक सत्र 2022-23 की 40 कक्षाओं का आयोजन पूर्ण हो चुका है अतः ऐसे विकासखंड जहां किसी कारणवश 40 कक्षाओं का लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है अतिरिक्त कक्षाएं लगाए जाने के संबंध में दिशानिर्देश।

निर्णयः म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र जारी किया जा चुका है।

एजेंडा 07. छात्रों की समस्याओं के निराकरण की स्थिति।

निर्णयः म.गां.चि.ग्रा. विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र, जन अभियान परिषद् से प्राप्त छात्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु समय सीमा का निर्धारण कर त्वरित कार्यवाही की जावे तथा प्राप्त व् निराकृत समस्याओं की संख्यात्मक जानकारी का निर्माण कर परिषद् को उपलब्ध कराया जावे।

(डॉ. प्रवीण शर्मा)
प्रभारी प्रशासन
म.प्र. जन अभियान परिषद